

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

क्रमांक प. 21(32)प्रशि/आयो/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 08.8.2018

1. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।

विषय :- राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुर्नगठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना।

महोदय,

प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन, गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-259 के उप नियम(9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिन्हित 'राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC)' एवं 'संबंधित संस्था प्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)' नामित किया गया है। इसी आदेश के द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान हेतु जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (CRCF) एवं संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) घोषित किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/ 2017 दिनांक 11.04. 2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण (Supervision) हेतु ग्राम पंचायत के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), सर्व शिक्षा अभियान (SSA) एवं शिक्षक शिक्षा (TE) को एकीकृत कर 'समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)' योजना संचालित की जायेगी। मानव संसाधन विकास

मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के अ.शा. पत्र क्रमांक 310563/2017 दिनांक 16.11.2017 एवं 11-2/2017-ईई, 13 दिनांक 03.04.2018 के अनुसार 'समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन (SMSA)' Single State Implementation Society (SIS) के माध्यम से किया जावेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) एवं सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को एकीकृत कर 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCSCE)' का गठन किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 21(32)प्राशि/आयो/ 2017 दिनांक 24.05.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है।

नवीन पुर्नगठित व्यवस्था के अनुसार 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCSCE)' राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) योजना से सम्बन्धित Planning, Implementation & Monitoring हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था हैं एवं राज्य स्तर पर परिशिष्ट-1 के अनुसार एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गयी है।

राज्य स्तर पर पुर्नगठन के पश्चात राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तर के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ करने के लिए वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तर के कार्यालयों का पुर्नगठन कर परिशिष्ट-2 के एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल निम्नानुसार स्थापित किये जाते हैं :-

1. ब्लॉकस्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल:

- 1.1 राज्य के सभी 301 शिक्षा ब्लॉक के स्तर पर परिशिष्ट-3 के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा अभियान के अधीन ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल स्थापित किया जाता है।
- 1.2 प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता है :-

क्र. सं.	पदनाम	समकक्ष पद(Rank)	पे-लेवल	ब्लॉक में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	301 ब्लॉक में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान	जिला शिक्षा अधिकारी	L-17	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
2.	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी- प्रथम	प्रधानाचार्य	L-16	1	राज्य मद	301
3.	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय	प्रधानाचार्य	L-16	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
4.	सन्दर्भ व्यक्ति	व्याख्याता	L-12	2	समग्र शिक्षा	602

					अभियान मद	
5.	सन्दर्भ व्यक्ति (C.W.S.N.)	वरि. अध्यापक	L-11	2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
6.	सहा. लेखाधिकारी-2	-	L-11	1	राज्य मद	301
7.	कनि. लेखाकार	-	L-10	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
8.	सहा. प्रशा. अधिकारी	-	L-10	1	राज्य मद	301
9.	वरि. सहायक	-	L-8	2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
10.	कनि. सहायक	-	L-5	1	राज्य मद	301
11.	च.श्रे.कर्मचारी	-	L-1	4	3 पद राज्य मद एवं 1 पद समग्र शिक्षा अभियान मद	1204
12.	कनि. अभियंता	-	L-11	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	301
योग				18		5418
संविदा आधारित पद						
1.	एमआईएस/मशीन विद मैन	-		2	समग्र शिक्षा अभियान मद	602
2.	एमआईएस/मशीन विद मैन (सूचना सहायक के पदों के स्थान पर)	-		1	राज्य मद	301
योग				3		903
महायोग				21		6321

- 1.3 उपरोक्त पदों के अतिरिक्त वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीएफ कार्यालय में राज्य मद, एसएसए एवं रमसा के तहत स्वीकृत समस्त पद समाप्त किये जाते हैं।
- 1.4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ ब्लॉक क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge) होंगे एवं ब्लॉक क्षेत्र के समस्त पीईईओ एवं पीआरसीएफ, समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्मिक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।
- 1.5 वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कार्मिकों का समायोजन एसपीडी समसा द्वारा ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में समसा के तहत स्वीकृत समकक्ष नवसृजित पदों पर यथासंभव किया जावेगा। समायोजन से शेष कार्मिकों को पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा। समायोजन उपरांत रिक्त पदों पर नये सिरे से उपयुक्त कार्मिकों का चयन किया जावेगा।



- 1.6 वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर राज्य मद के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में नवसृजित समकक्ष पदों पर किया जायेगा एवं समायोजन से शेष कार्मिकों का पदस्थापन अन्य कार्यालयों/विद्यालयों में किया जावेगा।
- 1.7 ब्लाक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में की जावेगी तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं/समग्र शिक्षा अभियान/अन्य योजनाओं के माध्यम से इस कार्यालय के सृदृढीकरण के प्रयास किए जावेंगे।

2. जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

2.1 राज्य के समस्त 33 जिलों के स्तर पर परिशिष्ट-4 के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान के अधीन जिला स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किया जाता है।

2.2 प्रत्येक जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के संघटक कार्यालयों (Constituent Offices)में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता है:-

(अ)मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद(Rank)	पे-लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान	उप निदेशक	L-18	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	33
2	सहायक निदेशक	प्रधानाचार्य	L-16	1		33
3	वरिष्ठ विधि अधिकारी	-	L-12	1		33
4	संस्थापन अधिकारी	-	L-15	1		33
5	प्रशासनिक अधिकारी	-	L-12	1		33
6	अति. प्रशासनिक अधिकारी	-	L-11	1		33
7	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	-	L-10	1		33
8	निजी सहायक	-	L-11	1		33
9	सन्दर्भ व्यक्ति (सीडब्ल्यूएसएन)	वरिष्ठ अध्यापक	L-11	1		33
10	कनि. लेखाकार	-	L-10	1		33
11	च.श्रे.कर्मचारी	-	L-1	2		66
योग				12		396
संविदा आधारित पद						
1	एमआईएस/मशीन	-		1	समग्र	33

3

	विद मैन				शिक्षा अभियान मद	
योग				1		33
महायोग				13		429

(ब) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	L-17	1	राज्य मद	33
2	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	प्रधानाचार्य	L-16	2	राज्य मद	66
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	—	L-11	1	राज्य मद	33
4	उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा	—	L-14	1	राज्य मद	33
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	—	L-10	1	राज्य मद	33
6	सहायक लेखाधिकारी-1	—	L-12	1	राज्य मद	33
7	कनि. लेखाकार	—	L-10	1	राज्य मद	33
8	वरि. सहायक	—	L-08	2	राज्य मद	66
9	कनि. सहायक	—	L-05	2	राज्य मद	66
10	च.श्रे.कर्मचारी	—	L-01	3	राज्य मद	99
योग				15		495
संविदा आधारित पद						
1	एमआईएस/मशीन विद मैन	—		4	राज्य मद	132
योग				4		132
महायोग				19		627

(स) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	L-17	1	राज्य मद	33
2	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	प्रधानाचार्य	L-16	2	राज्य मद	66
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	—	L-11	1	राज्य मद	33

	अधिकारी					
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	—	L-10	1	राज्य मद	33
5	सहायक लेखाधिकारी-1	—	L-12	1	राज्य मद	33
6	कनि. लेखाकार	—	L-10	1	राज्य मद	33
7	वरि. सहायक	—	L-08	2	राज्य मद	66
8	कनि. सहायक	—	L-05	2	राज्य मद	66
9	च.श्रे.कर्मचारी	—	L-01	3	राज्य मद	99
योग				14		462
संविदा आधारित पद						
1	एमआईएस/मशीन विद मैन	—		3	राज्य मद	99
योग				3		99
महायोग				17		561

(द) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियानकार्यालय

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	33 जिलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा अधिकारी	L-17	1	समग्र शिक्षा अभियान मद	33
2	सहायक परियोजना समन्वयक	प्रधानाचार्य	L-16	2		66
3	कार्यक्रम अधिकारी	व्याख्याता	L-12	6		198
4	सहायक अभियन्ता	—	L-14	1		33
5	कनिष्ठ अभियन्ता	—	L-11	2		66
6	वरिष्ठ सहायक	—	L-08	2		66
7	कनिष्ठ सहायक	—	L-05	1		33
8	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	—	L-11	1		33
9	कनिष्ठ लेखाकार	—	L-10	2		66
10	च.श्रे.कर्मचारी	—	L-01	4		132
योग				22		726
संविदा आधारित पद						
1	एमआईएस/मशीन विद मैन	—		5	समग्र शिक्षा अभियान मद	165
योग				5		165
महायोग				27		891

- 2.3 उपरोक्त पदों के अतिरिक्त वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं एसएसए एवं आरएमएसए के जिला स्तरीय कार्यालयों में राज्य मद, एसएसए एवं रमसा के तहत स्वीकृत समस्त पद समाप्त किये जाते हैं।



- 2.4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान जिले के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge) होंगे एवं जिले के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान एवं प्रधानाचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियानके प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।
- 2.5 वर्तमान में जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कार्मिकों का समायोजन एसपीडी समसा द्वारा जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में समसा के तहत स्वीकृत समकक्ष नवसृजित पदों पर यथासंभव किया जावेगा। समायोजन से शेष कार्मिकों को पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा। समायोजन उपरांत रिक्त पदों पर नये सिरे से उपयुक्त कार्मिकों का चयन किया जावेगा।
- 2.6 वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों में राज्य मद के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में नवसृजित पदों पर किया जायेगा एवं समायोजन से शेष कार्मिकों का पदस्थापन अन्य कार्यालयों/विद्यालयों में किया जावेगा।
- 2.7 जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना यथासंभव एक ही परिसर में की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक परिसर का उपयोग किया जा सकता है, परंतु भविष्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं/समग्र शिक्षा अभियान/अन्य योजनाओं से आवश्यक निर्माण कार्य करवाकर जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल को एक ही परिसर में संचालित करने की व्यवस्था की जावेगी।
3. संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल
- 3.1 राज्य के समस्त 9 संभागों के स्तर पर परिशिष्ट-5 के अनुसार संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के अधीन संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किया जाता है।
- 3.2 प्रत्येक संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता है:-

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	प्रत्येक संभाग स्तर पर स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद	09 संभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा	संयुक्त निदेशक	L-19	1	राज्य मद	09
2	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	प्रधानाचार्य	L-16	2	राज्य मद	18
3	लेखाधिकारी	-	L-14	1	राज्य मद	09
4	उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा	-	L-14	1	राज्य मद	09
5	उप जिला शिक्षा अधिकारी संस्थापन	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा	L-14	2	राज्य मद	18

6	वरिष्ठ विधि अधिकारी	—	L-12	1	राज्य मद	09
7	प्रशासनिक अधिकारी	—	L-12	1	राज्य मद	09
8	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	—	L-11	1	राज्य मद	09
9	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	—	L-10	3	राज्य मद	27
10	सहायक लेखाधिकारी-1	—	L-12	1	राज्य मद	09
11	निजी सहायक	—	L-11	1	राज्य मद	09
12	कनि. लेखाकार	—	L-10	1	राज्य मद	09
13	वरि. सहायक	—	L-05	3	राज्य मद	27
14	सांख्यिकी अधिकारी	—	L-12	1	राज्य मद	09
15	च.श्रे.कर्मचारी	—	L-01	4	राज्य मद	36
योग				24		216
संविदा आधारित पद						
1	एमआईएस/मशीन विद मैन	—		4	राज्य मद	36
योग				4		36
महायोग				28		252

- 3.3 शिक्षा संकुल जयपुर में कार्यरत विशेष प्रकोष्ठों (शाला दर्पण, शाला दर्शन, आरटीई सेल, प्राइवेट स्कूल एवं सीएसआर पोर्टल) हेतु जयपुर संभाग के एकीकृत शिक्षा संकुल में निम्नलिखित अतिरिक्त पद सृजित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम (वेतनमान)	समकक्ष पद (Rank)	पे-लेवल	जयपुर संभाग हेतु में स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद
1	प्रधानाचार्य (शाला दर्पण, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, सीएसआर)	प्रधानाचार्य	L-16	3	राज्य मद
2	प्रधानाध्यापक (आरटीई सेल)	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा	L-14	1	राज्य मद
3	व्याख्याता (शाला दर्पण, शाला दर्शन)	व्याख्याता	L-12	2	राज्य मद
4	वरिष्ठ अध्यापक (शाला दर्पण, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, सीएसआर)	वरिष्ठ अध्यापक	L-11	3	राज्य मद
महायोग				09	

- 3.4 उपरोक्त पदों के अतिरिक्त वर्तमान में संभाग स्तर पर संचालित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों में राज्य मद के तहत स्वीकृत समस्त पद समाप्त किये जाते हैं।

- 3.5 संभाग के समस्त जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।
- 3.6 वर्तमान में उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों में राज्य मद के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में नवसृजित पदों पर किया जायेगा एवं समायोजन से शेष कार्मिकों का पदस्थापन अन्य कार्यालयों/विद्यालयों में किया जावेगा।
4. उपरोक्त व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश (Operational guidelines) पृथक से जारी किये जावेंगे।
5. समग्र शिक्षा अभियान के अतर्गत सिविल विंग के पदों को 4 वर्ष के लिए सृजित किया गया है, 4 वर्ष उपरान्त निर्माण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों की समीक्षा की जावेगी।
6. समग्र शिक्षा अभियान मद से स्वीकृत पदों के वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान से किया जावेगा। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राज्य मद से स्वीकृत पदों का बजट मदवार सृजन करवाकर IFMS पर अपलोड करवाया जावेगा।
7. एमआईएस/मशीन विद मैनुअल का कार्य संविदा पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों की पालना कर कराया जावेगा।
8. उपरोक्त पुर्नगठित व्यवस्था की क्रियान्विति हेतु आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा राज्य स्तर पर प्रभारी अधिकारी होंगे। आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से समन्वय स्थापित कर पुर्नगठित व्यवस्था को तत्काल लागू करने की कार्यवाही करेंगे।
9. उपरोक्त व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माशि/प्राशि, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अन्य अधिकारियों के संघन प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना बनाकर प्रशिक्षण की कार्यवाही करेंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101804058 दिनांक 06.08.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

सलग्नक: परिशिष्ट 1 से 5


(अशफाक हुसैन)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. निजी सचिव, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार

4. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6)
13. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/2/5)/प्रारम्भिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)
14. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग (वर्तमान संभागीय उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा)
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान (वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/रमसा)
16. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान (वर्तमान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी.एफ. (रमसा/एसएसए))
17. प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन पोर्टल/स्कूल शिक्षा विभाग वेबसाइट को भेजकर लेख उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करे।
18. रक्षित पत्रावली।


www.rajteachers.com

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा




संभाग स्तर से पंचायत स्तर तक एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा



ब्लॉक स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का संगठनात्मक ढांचा


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन
बीआरसीएफ, समसा (DEO Rank)



(Handwritten signature)

जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का संगठनात्मक ढांचा


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं परेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान (D.D. Rank)



परियोजना मद

राज्य मद

संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का संगठनात्मक ढांचा



www.rajteachers.com

